कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश

//विविध आदेश//

क्रमांक......26........./   रीवा, दिनांक 03 /03/2023
दो–1–1/2000

माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक–ए/1806, जबलपुर दिनांक 14 अप्रैल 2022 के अनुसार श्रीमती कंचन गुप्ता, 12वें जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को विशेष न्यायाधीश रीवा (पाक्सो अधिनियम) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है तथा उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की शक्तियां प्रदत्त की गयी हैं।

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के डिवीजन बैंच के द्वारा क्रिमिनल अपील क्रमांक 5189/2020 प्रमोद यादव वि0 म0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2021 की कंडिका 29 एवं 30 तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक 1869 जबलपुर दिनांक 18.06.2021 एवं समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 52/दो–1–1/2000 दिनांक 14 जनवरी 2023 में आंशिक संशोधन निम्नानुसार समाविष्ट किया जाता है:–

1. सरल क्रमांक–02 श्री सी0एम0 उपाध्याय, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रीवा के स्तम्भ क्रमांक–04 के सत्र खण्ड की कंडिका क्रमांक–03 को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

2. सरल क्रमांक–14 श्रीमती कंचन गुप्ता, 12वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) रीवा के स्तम्भ क्रमांक–04 की कंडिका क्रमांक–04 के पश्चात् क्रमांक–05 को निर्मित कर निम्नलिखित ईबारत जोड़ी जाती है:–

"लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के साथ–साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) उल्लंघन से संबंधित अपराध में जो कि रीवा जिले के तहसील मउगंज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां के समस्त थाना क्षेत्रों से उद्भूत अभियोग/परिवाद पत्र एवं जमानत आवेदन पत्र व अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां"।

शेष आदेश यथावत रहेंगे।

(डी0एन0 मिश्र) 3.3.2023
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन कमांक– 928 / दो–1–1 / 2000 रीवा, दिनांक 03 / 03 / 2023

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान्नीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय (रीवा) उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने बावत्।
2. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रीवा को निर्देशित किया जाता है कि विविध आदेशानुसार मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय एवं अधिसूचना के अधीन कार्यालय विविध आदेश कमांक–140 दिनांक 22/07/2022 के पश्चात् पाक्सो अधिनियम से संबंधित विचाराधीन समस्त प्रकरणों को अंतरित किया जाकर श्रीमती कंचन गुप्ता 12वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा/विशेष न्यायाधीश रीवा (पाक्सो अधिनियम 2012) की न्यायालय में प्रेषित किये जावें।
4. 12वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा/विशेष न्यायाधीश रीवा (पाक्सो अधिनियम 2012) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
5. समस्त न्यायालय रीवा/मउगंज/त्यौंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
6. कलेक्टर, जिला रीवा (म0प्र0)।
7. पुलिस अधीक्षक जिला रीवा (म0प्र0) को समस्त थाना प्रभारियों को अवगत कराने एवं पालन कराने हेतु।
8. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/मउंगज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
9. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
10. फाईलिंग काउंटर रीवा/मउंगज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।

    की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा

    की ओर वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0) 3-3-2023